भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3891

दिनांक 06 अप्रैल, 2022 / 16 चैत्र, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

कश्मीर घाटी में पुनर्वासित कश्मीरी पंडित

3891 श्री विशम्मभर प्रसाद निषादः
श्रीमती छाया वर्माः
चौधरी सुखराम सिंह यादवः
श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद केंन्द्र सरकार द्वारा कश्मीर घाटी में कितने कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास किया गया है, तत्संबंधी वर्ष-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) अगस्त 2019 से आज की स्थिति तक आंतकवादियों द्वारा जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडितों सहित कितने हिंदू मारे गए, तत्संबंधी वर्ष-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क): अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद, प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत प्रदान की गई नौकरियां लेने के लिए लगभग 2105 प्रवासी कश्मीर घाटी में वापस लौट आए हैं। वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	की गई नियुक्तियों की संख्या
2020-21	841
2021-22	1264

(ख): 5 अगस्त, 2019 से 24 मार्च, 2022 तक जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा मारे गए कश्मीरी पंडितों और अन्य हिंदुओं की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	मारे गए कश्मीरी पंडितों और अन्य हिंदुओं की जिला-वार संख्या								कुल
	अनंतनाग		श्रीनगर		पुलवामा		कुलगाम		
	कश्मीरी पंडित	अन्य हिन्दू	कश्मीरी पंडित	अन्य हिन्दू	कश्मीरी पंडित	अन्य हिन्दू	कश्मीरी पंडित	अन्य हिन्दू	
2019 (दिनांक 05.08.2019 से)	0	1	0	1	0	1	0	0	3
2020	1	0	0	1	0	0	0	0	2
2021	0	0	2	3	1	0	0	3	9
2022 (दिनांक 24.03.2022 तक)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

सरकार ने घाटी में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें एक सशक्त सुरक्षा और आसूचना ग्रिड, स्टेटिक गार्ड्स के रूप में सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्र का दिन-रात डोमिनेशन, नाकों पर चौबीस घंटे चेकिंग, उन क्षेत्रों की गश्त जहां अल्पसंख्यक रहते हैं, इसके अलावा आतंकवादियों के विरूद्ध सक्रिय ऑपरेशन शामिल हैं।

*****